प्ररूप 46

(नियम 21(10), 41(3) और 41(9)]

बालक देखभाल संस्थानों का निरीक्षण

(उपयुक्त अनुसार भरें)

दौरे की तारीख और समय :

बाल गृह का निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम:

1. ……..
2. ……..
3. ……..

संस्था का नाम और पता

सुविधा का प्रकार : ……(बाल गृह/संप्रेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षा स्थान/मुक्त आश्रय/विशेषीकृत दत्तकग्रहणसंस्थाएं/ उपयुक्त सुविधा)

यदि राज्य सरकार से सहायता प्राप्त / का सहयोग प्राप्त हो तो उस विभाग का नाम……

यदि सरकार द्वारा संचालितः……...

प्रभारी व्यक्ति का नाम:……...

संपर्क संख्या:……

ई-मेल आईडी :……

संकेतक	स्थिति (हां/नही	टिप्पणियां (अनुपालन / आंशिक अनुपालन के मामले)	अधिनियम/विनियम
विधिक स्थिति			
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860/ भारतीय न्यास अधिनियम, 1882/ कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन मूल संगठन का पंजीकरण			धारा 41/नियम 21: बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860/ भारतीय त्यास अधिनियम, 1882/ कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन मूल संगठन कापंजीकरण संख्या			
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख औरसंरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन मूलसंगठन का पंजीकरण			
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख औरसंरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन मूलसंगठन का पंजीकरण संख्या			
विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम,2010, रजिस्ट्रीकरण (यदि कोई हो)			

कार्य			
मंजूर की गई क्षमता (संख्या में)			
संस्थानों में रखे गए बच्चों की कुल संख्या			नियम 18 और 19: समिति के समक्ष प्रस्तुत और जांच
बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के बिना गृहों में रह रहे बच्चों की संख्या			
क्या रह रहे बालकों की आयु 0-5 वर्ष के आयु समूह में है? (विनिर्दिष्ट करें)			
क्या रह रहे बालकों की आयु 18 वर्ष से अधिक है? (विनिर्दिष्ट करें)			
चालू मास में नए प्रवेशों की संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
ऐसे बालकों की संख्या जो वहां से चले गए / विमुक्त हुए? (विनिर्दिष्ट करें)			
मास के दौरान बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड द्वारा संदर्भित बालकों की संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
मास के दौरान बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किए गए बच्चों की संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
पिछले मास के अंत में बालकों की संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
विशेष जरूरतमंद बालकों की संख्या, यदि हां तो (विनिर्दिष्ट करें)			
कुल बालकों की संख्या संस्था की क्षमता से कम है या अनुरूप है			धारा 41: बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण
4 मास से अधिक समय से रह रहे बालकों की संख्या			प्रेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षा का स्थान
प्रबंधन समिति			
एक साल में आयोजित की गई बैठकों काऔसत संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			नियम 39 प्रबंधन समिति
स्थापित की गई बाल समिति			नियम 40:बाल समितियां
एक साल में आयोजित की गई बैठकों का औसत संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
स्थापित की गई दत्तकग्रहण समिति			धारा 65:विशेष दत्तकग्रहण एजेंसी
एक साल में आयोजित की गई बैठकों की औसत संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
अल्प अवधि के लिए बालकों के मनः सामाजिक पुनर्वास के अतिरिक्त गतिविधि मुक्त आश्रय / आश्रय गृह कोई गतिविधि			मुक्त आश्रय
बालकों के संबंध में जानकारी केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जातीहै।			
भौतिक अवसंरचना			
भवन (किराया या स्वामित्व पर)			नियम 29: भौतिक अवसंरचना
नाम, बाल देखभाल संस्था के प्रकार, संपर्क को दर्शाने वाला नामपट्ट विवरण			
शिक्षा (कक्षा)			

शयन गृह / शयनशाला			
रसोईघर			
परामर्श			
टेलिविज़न के साथ मनोरंजन			
रोगी कक्ष			
पुस्तकालय			
आगंतुकों के लिए कक्ष			
व्यावसायिक प्रशिक्षण			
भोजन कक्ष			
भण्डार गृह			
अभिलेखालय			
कार्यालय कक्ष			
कर्मचारी निवास			
स्नान गृह			
प्रसाधन			
इंटरनेटयुक्त कम्प्यूटर			
चहारदीवारी/घेराबंदी			
10 साल से कम आयु के बच्चों के लिए अलग से रहने का स्थान			
संस्थागत सुविधा			
सुरक्षित भंडार किए गए रिकार्ड			नियम 26: बालदेखभाल संस्थाओं काप्रबंधन और मानीटरी
आवश्यक विवरण, सहित – तात्कालिक नम्बर			
ड्यूटी चार्ट			
मेनू चार्ट			
उपस्थिति प्रास्थिति			
साप्ताहिक कार्यक्रम अनुसूची			
कैंपस से बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा			
स्टॉफ और प्रबंधन से बच्चों के लिए अलग सुविधाएं			
सुविधाएं और सहयोग (उपकरण, कर्मचारी, पढ़ाने और सीखने के उपकरण) विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए			
दृश्य आवश्यकताएं			
बौद्धिक आवश्यकताएं			
श्रवण संबंधित आवश्यकताएं			
अस्थायी भारी उपकरण, फर्नीचर, या अन्य सामान जिन्हें बच्चे स्वयं खींच सकें, से मुक्त कमरे और शयनगृह			
छत की दीवारों, फर्श की कवरिंग, वस्त्रों, परदे, खिड़की के पर्दे जुड़नार और उपस्करों की अच्छी स्थिति			
बालकों के शयनगृहों / शौचालयों में विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों में कर्मचारी/आगंतुकों के पहुंच के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश			
दीवारें और कम्पाउंड आकर्षक चित्रों / कार्टूनों/चित्रों आदि से रंगा हुआ			विशेष दत्तकग्रहणअभिकरण

बाहरी गेट के नज़दीक एक पालना रखा गया है या नहीं			
शिशु, छोटे बच्चे और बड़े बच्चों को अलग किया जाता है या नहीं			
शिशु और छोटे बच्चों के क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंध			
सुरक्षित क्षेत्र में शिशु और छोटे बच्चों की स्वतंत्र गतविधि			
शौचालय और स्नानगृह में निजता बनी है या नहीं			नियम 67: सुरक्षा उपाय
आधारभूत तात्कालिक मेडिकल देखभाल उपस्कर उपलब्ध हैं या नहीं			
विशेष तात्कालिक मेडिकल देखभाल उपस्कर उपलब्ध हैं या नहीं			
बाल अनुकूल स्नानगृह / बालकों के लिए विशेष रूप से स्नान गृह क्षेत्र (1:10) में उपलब्ध हैं या नहीं (विनिर्दिष्ट संख्या)			नियम 31: स्वच्छता और सफाई
विशेषरूप से बच्चों के लिए बाल अनुकूल शौचालय (1:7) उपलब्ध हैं या नहीं (विनिर्दिष्ट संख्या)			
सुरक्षित और संरक्षित पेयजल भंडारण उपलब्ध हैं या नहीं			
सभी बच्चों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है या नहीं			
उचित नाली और कूड़ा-करकट निपटान सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं			
स्टाफ			
एक भारसाधक व्यक्ति			नियम 26: बाल देखरेख संस्थाओं का प्रबंधन और मानीटरी
दो परामर्शदाता			
तीन बाल कल्याण अधिकारी/अस्थायी अधिकारी / मामला कार्यकर्ता			
चार गृह माता/गृह पिता			
एक मेडिकल अधिकारी (फिजिशियन)			
एक पैरामेडिकल स्टाफ			
एक स्टोर कीपर सह लेखाकार			
एक (अंशकालिक) आर्ट और क्राफ्ट सह संगीत अध्यापक			
एक (अंशकालिक) शारीरिक प्रशिक्षण संचालक सह योगा प्रशिक्षक			
एक चालक			
दो रसोईया			
दो सहायक			
दो हाउस कीपिंग			
सुरक्षा गारद			
अन्य कोई			
प्रत्येक स्टाफ की व्यक्तिगत फाइलें उपलब्ध हैं, सहित- क्या भर्ती के रिकार्ड			
संदर्भ जांच			
कार्य प्रोफाइल			
प्रदर्शन का मूल्यांकन			
बालिका इकाई के लिए महिला अधीक्षक / प्रबंधक /			

प्रभारी उपलब्ध			
कर्मचारियों का प्रशिक्षण			
कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण अर्थात्: सामाजिक कार्यकर्ता			नियम 89 बच्चों के साथ रहने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण
बाल कल्याण अधिकारी			
मामला कार्यकर्ता			
पुनर्वास सह नियोजन अधिकारी			
देखभाल करने वाले			
गृह पिता और गृह माता			
सुरक्षा कर्मी और अन्य कर्मचारी			
बाल देखभाल संस्थान के कर्मचारियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं			
पुनर्वास सह-नियोजन अधिकारी			नियम 65: पुनर्वास-सह-नियोजन अधिकारी
परिसर में रहने वाले अधीक्षक / प्रबंधक / प्रभारी			नियम 61: बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य
बाल देखरेख सुविधाएं			
पर्याप्त / सुरक्षित बिलीने उपलब्ध हैं और बालकों के लिए सुलभ हैं या नहीं			नियम 38 आमोद-प्रमोद संबंधी सुविधाएं
खेलने के लिए पर्याप्त उपयुक्त रूप से सुसज्जित बाहरी स्थान उपलब्ध है और बच्चों के लिए सुलभ है या नहीं			
विशेष आपातकालीन चिकित्सा देखभाल उपकरण (एमसीई) के साथ बेबी केयर यूनिट की उपलब्धता है या नहीं			
शिशुओं और बच्चों के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित खिलौनों की उपलब्धता है या नहीं			
व्यक्तिगत बिस्तर उपलब्ध हैं और बच्चों को दिए जाते हैं या नहीं			नियम 29 भौतिक अवसरंचना
रहने और गतिविधियों के लिए आयु वर्ग के अनुसार बच्चों को अलग किया गया है या नहीं			
रहने और गतिविधियों के लिए लिंग केअनुसार बच्चों को अलग किया गया या नहीं			
बच्चों को चोट के जोखिम को कम करने के लिए या जितनी जल्दी हो सके इसके लिए स्टाफ पर्यवेक्षक के अधीन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं या नहीं			नियम 34/35: चिकित्सा देखभालऔर मानसिक स्वास्थ्य
भावनात्मक संकट में बालकों की सक्रिय निगरानी (डर, आघात या बीमारी के कारण) है या नहीं			
रोकथाम और दुरुपयोग से सुरक्षा			
बाल संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया			नियम 76: बच्चे के साथ दुर्व्यवहार और
कर्मचारी और प्रबंधन द्वारा मानक संचालनप्रक्रिया का पालन किया जाता है।			

दुरुपयोग की रोकथाम सहित कार्यात्मक और सुलभ शिकायत और शिकायत निवारण तंत्र स्थित है, जैसे- सुझाव बॉक्स			शोषण
चाइल्ड हैल्पलाइन			
सीसीटीवी कैमरे			
बाल समितियां			
नियमित स्टाफ चिल्ड्रन इंटरफेस			
बच्चों का प्रशिक्षण और अभिविन्यास			
सुझाव या शिकायत पुस्तिका में मिली कोई शिकायत			
दैनिक दिनचर्या			
गतिविधि की दैनिक दिनचर्या का पालन किया जाता है			नियम 32: दैनिक दिनचर्या
बच्चों की समिति के साथ परामर्श से या आवश्यकता के अनुसार दैनिक दिनचर्या तैयार की जाती है।			
संस्था में प्रमुख स्थानों पर दैनिक दिनचर्या सार्वजनिक डिस्प्ले पर है			
पोषण			
कर्मचारी, विकास के परिवर्तनीय चरणों में बालक की पोषण संबंधी आवश्यकता से अवगत है			नियम 33:पोषण और आहार पैमाना
बच्चों के परामर्श से भोजन का प्लान किया जाता है			
भोजन निर्धारित मानदंडों / आहार पैमाने के अनुसार प्रदान किया जाता है			
बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है			
त्यौहारों / अवसरों के दौरान विशेष भोजन करवाया जाता है			
डॉक्टर की सलाह के अनुसार बीमार / विशिष्ट स्वास्थ्य वाले बालकों को विशेष आहार प्रदान किया जाता है			
गृह को दानदाताओं से प्रायोजित पका हुआ / बिना पका भोजन, दोपहर का भोजन, रात का खाना आदि प्राप्त होता है			
पका हुआ भोजन यदि प्रायोजित है तो परोसने से पहले देखभालकर्ता द्वारा इसकी जांच की जाती है			
आया/देखभाल करने वालों की देखरेख अन्यकर्मचारियों द्वारा की जाती है जब वे बच्चों कोखाना खिला रही होती हैं			
वस्त्र, बिस्तर की स्वास्थ्यकर			
सभी बालकों को मानदंड के अनुसार व्यक्तिगत, स्वच्छ, मौसमी और उम्र के अनुकूल कपड़े, वस्तुएं और प्रसाधन प्रदान किए जाते हैं।			नियम 30 बख, बिस्तर, प्रसाधन सामग्री और अन्य वस्तुएं
सभी बच्चों को मानदंडों के अनुसार व्यक्तिगत, स्वच्छ, मौसम के अनुसार उपयुक्त चटाई और सोने की सामग्री प्रदान की जाती है।			
आवश्यकतानुसार सोने की सामग्री को नियमित रूप से साफ/स्वच्छ किया जाता है या पुन: उपयोग करने से पहले			नियम 31: स्वच्छता और स्वास्थ्यकर
संक्रमण और बीमारी की रोकथाम के लिए कमरों को नियमित रूप से धूप देकर कीटाणुरहित किया जाता है और			

सामग्री प्रदान की जाती है।			
प्रत्येक बालक को अपना सामान रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान आवंटित किया गया है			
पुराने सामान जैसे कपड़े, चादरें, चटाई, बिस्तर आदि दान करने पर उपयोग करने से पहले साफ / कीटाणुरहित कर दिए जाते हैं।			
क्या बच्चों के लिए घर में निम्नलिखित सुविधाएं उपलबध हैं:			
पंखे			
कूलर			
एयरकंडीशनर			
सर्दियों के लिए हीटर			
स्वास्थ्य देखभाल			
प्रवेश पर प्रत्येक बालक का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है			नियम 34/35: चिकित्सादेखभाल / मानसिक स्वास्थ्य
हर बालक के नियमित स्वास्थ्य जांच होती है.			
प्रत्येक बालक के पास स्वास्थ्य कार्ड है और रिकार्डों / फाइलों का रखरखाव और अद्यतन किया जाता है			
रात में घर में नर्स/पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्धहैं			
स्टाफ नर्स द्वारा बालक को दवाएं दी जाती हैं			
प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है			
6 साल तक के बच्चों का अनिवार्य टीकाकरण किया जाता है			
शिक्षा			
शैक्षिक निर्धारण आयोजित किया जाता है और प्रत्येक बालक की आवश्यकता को पूरा किया जाता है			नियम 36/69: बालकों की शिक्षा/ संस्थागत प्रबंधन
सभी बालकों को उम्र के अनुकूल औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है।			
खेलने के तरीके से सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से शिशुओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने पर पर्याप्त जोर दिया जाता है।			
आयु उपयुक्त, व्यवहार्य और बाजार उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है			नियम 37: व्यावसायिक प्रशिक्षण
बच्चों को प्रदान किए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण का चयन करने के लिए उनसे चर्चा की जाती है।			
आयु उपयुक्त जीवन कौशल शिक्षा प्रदान की जाती है.			
मनोरंजन			
बालकों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं			नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं
बालकों के लिए आउटडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं			
कर्मचारी बालकों के साथ ऐसी मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न होते हैं।			
सहयोग / भागीदारी, लचीलापन, आदि विकसित करने के लिए किसी भी नवीन गतिविधियों का उपयोग किया जाता है			

प्रवेश और रिपोर्टिंग			
नियमित समय के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष सभी प्रवेश के लिए बच्चों को प्रस्तुतकिया जाता है			धारा 31/ नियम 18:समिति के समक्षप्रस्तुत
गृहों में सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के आर्डर की अनुपालना में घर में रखा जाता है।			
निर्धारित समय-सीमा के अंदर किशोर न्यायबोर्ड के समक्ष सभी प्रवेश लिए गए बालकों को प्रस्तुत किया जाता है।			धारा 10 / नियम 9:बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत
किशोर न्याय बोर्ड के आर्डर की अनुपालना में सभी बच्चों की अवलोकन गृहों, विशेष गृहों / सुरक्षा स्थानों पर रखा जाता है।			
बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड केमाध्यम से प्रत्येक बालक की बहाली			
जैसा कि निदेशित है निर्धारित समय के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रत्येक बालक की पूर्ववृत्त जमा करवायी जाती है।			नियम 19 / 69: पूछताछ / बालकों का संस्थागत प्रबंधन
गृह ने बालक के जैविक माता- पिता/अभिभावक का पता लगाने के प्रयास किए हैं।			
गृह द्वारा जैविक परिवारों का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है।			
व्यक्तिगत मामला अभिलेख			
प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार की जाती है।			
यदि हां, प्रत्येक बच्चे के लिए तैयार की गई व्यक्तिगत देखभाल योजना कार्यान्वित की जाती है।			
एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता या अनुभवी व्यक्ति ने प्रत्येक बालक के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना (आईसीपी) तैयार की है।			
आईसीपी बालक के प्रवेश के 30 दिनों के अंदर गृहों में बालकों के लिए तैयार की जाती है।			
अभिलेखों का रखरखाव			
गृह मास्टर प्रवेश रजिस्टर रखते हैं।			नियम 77: रजिस्टरों का प्रबंधन
गृह बालकों को ट्रैक करने के लिए मास्टर प्रवेश रजिस्टर को नवीनीकृत करता है।			
गृह, गोद लेने के उद्देश्य से केंद्रीकृत डेटाबेसऔर भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित पोर्टलमें मास्टर प्रवेश रजिस्टर को अद्यतन करता है।			
वर्तमान में उपस्थित बालकों की संख्या उपस्थिति रजिस्टर से मेल खाती है			
बालकों के बारे में मासिक डेटा राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी / जिला बाल संरक्षण इकाई, जैसा भी मामला हो, को भेजा जाता है			नियम 22: मुक्तआश्रय
बहाली का दस्तावेजी प्रमाण- इसके संबंध में पहचान प्रमाण के साथ माता-पिता/अभिभावक का पत्र उपलब्ध है			
क्या गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त बच्चों का			

विवरण संस्था द्वारा रखा जाता है।			
बाल देखरेख संस्थान बालक की सभी प्रासंगिक जानकारी रखता है अर्थात् -			
व्यक्तिगत देखभाल योजना के साथ व्यक्तिगत मामला फाइल			
मामला पूर्ववृत्त			
जांच रिपोर्ट			
बाल कल्याण समिति के आदेश			
चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट (एमईआर)			
बाल अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर)			
गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर)			
जन्म प्रमाणपत्र			
न्यायालय के आदेश			
तिमाही प्रगति रिपोर्ट			
स्वास्थ्य रिपोर्ट			
प्रत्येक बालक का परामर्शदाता या सामाजिक कार्यकर्ता की रिपोर्ट, सामाजिक पूर्ववृत्त / मामला पूर्ववृत्त व्यक्तिगत फाइल में उपलब्ध है।			
बालक के साथ बातचीत की प्रारंभिक रिपोर्ट अभिलेख में है			
रजिस्टर			
मास्टर नामांकन और छोड़ने का रजिस्टर			नियम 77 रजिस्टरों का रखरखाव
पर्यवेक्षण रजिस्टर			
प्रत्येक बालक का मामला फाइल			
चिकित्सीय फाइल और चिकित्सीय रिपोर्ट			
बालकों और कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर			
आदेश पुस्तिका			
जांच रिपोर्ट की फाइल			
बालकों के सुझाव की पुस्तिका / फाइल			
वाउचर, रोकड़ पुस्तिका, लेजर, जर्नल / रोजनामचा और वार्षिक खाते			
अनुदान उपयोग रजिस्टर			
स्टॉक रजिस्टर			
बैठकों के कार्यवृत का अभिलेख- प्रबंध समिति			
शिकायत समिति			
कर्मचारी- बाल संवाद			
कर्मचारियों की बैठकें			
पोषण आहार रजिस्टर			
बजट विवरण रजिस्टर			
आंगतुक पुस्तिका			
कर्मचारियों की क्रियाकलापों का रजिस्टर			
व्यक्तिगत सामानों का रजिस्टर			
बालकों की क्रियाकलापों का रजिस्टर			

यदि विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण है			
बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभिकरण में एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता/ अनुभवी कार्मिक है			
बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त करने की घोषणा के बाद प्रत्येक बालक की औपचारिक बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाती है।			
गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभिकरण में एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता/ अनुभवी कार्मिक है।			
बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त करने की घोषणा के बाद प्रत्येक बालक की चिकित्सीय जांच रिपोर्ट बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा तैयार की जाती है			
गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने में लंबित थी			
बाल अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने में लंबित थी			
बाल चिकित्सीय जांच रिपोर्ट पूरी होने में लंबित थी			
दत्तक ग्रहण के लिए बालकों और भावी दत्तक ग्राही माता-पिता से संबंधित रिपोर्ट को केन्द्रीकृत डाटाबेस और पोर्टल पर अपलोड और अद्यतन किया जाता है			
दत्तक ग्रहण से संबंधित			
जैसे ही बालक दत्तक ग्रहण के लिए विधिकरूप से मुक्त हो जाते हैं, अभिकरण अविलंब बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्टअपलोड करती है।			विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण
प्रत्येक बालक के रेफरल और मिलान कानिर्णय दत्तक ग्रहण समिति द्वारा लिया जाता है			
अभिकरण प्रत्येक गोद लेने योग्य बालक का दत्तक परिवार और नए परिवेश के साथ आत्मसात करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करती है			
अभिकरण ने दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को दर्शाने वाले पत्रक/ पैम्फलेट/ साहित्य/कोई अन्य प्रचार सामग्री विकसित की है			
दत्तक ग्रहण रजिस्टर का रखरखाव किया जाताहै और दत्तक ग्रहण के लिए रखे गए प्रत्येकबालक की पूर्ण दत्तक ग्रहण फाइल उपलब्ध है			
दत्तक ग्रहण के लिए रखे गए बालकों के नियमित अनुसरण			
अभिकरण देश में दत्तक ग्रहण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में रखे गए बालकों के संबंध में उनके गोद लिए जाने के बाद की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करती है/रखती है।			
गोद लेने के बाद के सभी अभिलेख इस तरह रखी गई है कि अभिलेख तक सभी लोगों की पहुंच न हो			
अभिकरण ने बालक की सभी जानकारी और दस्तावेज के साथ-साथ उसके सामान को भी सुरक्षित संरक्षण में रखा है			
जानकारी को कैसे संरक्षित किया जाए और अगर बच्चा अपना मूल वंश खोजने के लिए आता है तो उसका प्रसार कैसे किया जाए. इसके लिए एक योजना बनाई गई है।			
देश में गोद लिए गए बालकों के मामले में कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ है।			

अंतरदेशीय रूप से गोद लिए गए बालकों के मामले में कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ है			
अभिकरण रजिस्ट्रीकृत सभी संभावित दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट अविलंब और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करती है।			
अभिकरण किसी बालक को दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने और सौंपने और रेफरल की प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद दत्तक पूर्व- -पालक देखरेख में रखती है।			
अभिकरण को मानदंडों के अनुसार दत्तक ग्रहण शुल्क प्राप्त होता है			
अभिकरण बालक के अध्यर्पण से पहले जैविक माता-पिता से उचित जानकारी प्राप्त करती है।			
बाल कल्याण समिति की उपस्थिति में ही अभिकरण अध्यर्पण विलेख (सरेंडर डीड) निष्पादित करवाती है			
अभिकरण बालक के माता-पिता को अध्यर्पण के निहितार्थ जिसमें विदेशियों द्वारा बालक को गोद लेने की संभावना और उसके साथ आगे कोई संपर्क नहीं होना शामिल है के बारे में व्याख्या कर बताती है।			
अभिकरण माता-पिता को सूचित करती है किअध्यर्पण की तारीख से उन्हें साठ दिनों की पुनर्विचार करने की अवधि मिलेगी, जिस अवधि के दौरान वे बालक को वापस ले सकते हैं			
अभिकरण अविवाहित मां और जैविक माता- पिता की गोपनीयता बनाए रखती है			
यदि माता-पिता द्वारा दावा किया जाता है, तो पुनर्विचार की अवधि समाप्त होने के बाद अभिकरण बालक को जैविक माता-पिता को पुनर्स्थापित करती है			
अभिकरण संभावित दत्तक माता-पिता और बालकों को उनकी आवश्यकता पड़ने पर परामर्श प्रदान करती है			
गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार होने से पहले अभिकरण संभावित दत्तक माता-पिता को परामर्श प्रदान करती है			
अभिकरण संभावित दत्तक माता-पिता को दत्तक ग्रहण की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए दत्तक माता-पिता संघों, दत्तक परिवारों और पुराने दत्तक ग्रहण करने वालों से संपर्क करने की सलाह देती है / प्रोत्साहित करती है।			
अभिकरण दत्तक माता-पिता को सलाह देती है कि वे बड़े बालक का नाम न बदलें ताकि बालक को उसकी पहचान बनाए रखने में मदद मिल सके।			
वित्तीय पारदर्शिता			
वित्तपोषण के स्रोतों और संगठन की एक साथया अलग से उपलब्ध सूचना का विवरण			खाते एवं लेखा परीक्षण
वित्तपोषण का स्रोत सरकारी सहायता/अनदान			
राष्ट्रीय दानकर्ता			
अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता (एफ सी आर ए)			

कारपोरेट दानकर्ता			
स्वयं का स्रोत			
अन्य			
इसके द्वारा अनुरक्षित परियोजना वार बैंक खाते (खातों) की संख्या, उद्देश्य प्राप्त राशिसहित उपलब्ध एफसीआरए खाते का विवरण			
गृह वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संगठन के लेखा परीक्षित खातों की एक प्रति, राज्य सरकार कोप्रस्तुत करता है			
अधिकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वार्षिक खातों का ऑडिट किया जाता है			
लेखा और विदेशी अभिदाय (विनियमन)अधिनियम, 2010 के लेखा परीक्षित विवरण की प्रतियां, गृह ने सक्षम प्राधिकारी को पिछले 2 वर्षों के रिटर्न प्रदान किए हैं।			
मानदंड और लिए गए समय के अनुसार अनुदान जारी किए जाते हैं			
अभिकरण ने पिछले दो वर्षों के दौरान देश में और दूसरे देशों के लिए अलग-अलग प्राप्त बालक के गोद लेने के शुल्क के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान की है।			विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण
अभिकरण को निर्धारित मानदंडों के अलावा गोद लेने का शुल्क प्राप्त होता है।			
अभिकरण गोद लेने के शुल्क को प्राप्त करने और उपयोग करने सहित वित्तीय अभिलेख रखती है			
गृह, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संगठन के लेखा परीक्षित खातों की एक प्रति प्रस्तुत करता है			
दत्तक ग्रहण अभिकरण निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार दत्तक ग्रहण शुल्क के रूप में उपलब्ध धन का उपयोग करती है			
अधिकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सालाना खातों का ऑडिट किया जाता है			
निरीक्षण			
निरीक्षण समिति द्वारा गृह का निरीक्षण कियागया है			नियम 41: निरीक्षण
निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण पर फीडबैकप्रदान किया गया			
फीडबैक / प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
बाल कल्याण समिति द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			धारा 30: समिति केकार्यएवंउत्तरदायित्व
बाल कल्याण समिति द्वारा निरीक्षण परफीडबैक दिया गया			
फीडबैक / प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है।			
उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारागृह का निरीक्षण किया गया है			जेजे समिति औरडब्ल्यूसीडी द्वारासंचालित

			निरीक्षण
उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारानिरीक्षण पर फीडबैक दिया गया			
फीडबैक / प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
महिला एवं बाल विकास विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया			
महिला एवं बाल विकास विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक प्रदान किया गया			
फीडबैक / प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			नियम91: राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गृह का निरीक्षण
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक प्रदान की गई			
फीडबैक / प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है।			
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है।			
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक दिया गया			
फीडबैक / प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
पूर्व में गृह का सोशल ऑडिट हो चुका है और रिपोर्ट सकारात्मक आई है।			
गृह के पास निरीक्षण सिफारिशों की एक प्रति और उस पर कार्रवाई का अभिलेख है			नियम 41: निरीक्षण
निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कोई सुधार हुआ			
कार्यक्रम संबंधी संपर्क			
बालकों के लिए चिकित्सा देखरेख और मानसिक स्वास्थ्य सेवा			नियम 34: चिकित्सा देखरेख
शिक्षा			नियम 36: शिक्षा
व्यावसायिक प्रशिक्षण			नियम 37:व्यावसायिक प्रशिक्षण
जीवन कौशल, कला और नृत्य और नाटक चिकित्सा और व्यावसायिक उपाय और अन्य मुद्दों पर आधारित कार्यशालाएं			नियम 38: मनोरंजन की सुविधाएं
खेल सहित मनोरंजक गतिविधियाँ			
रुचि की कक्षाएं			
भाषण / फिजियोथेरेपी सहित स्वास्थ्य			नियम 35: मानसिक स्वास्थ्य
विधिक सहायता सेवा			नियम 39 प्रबंध समिति
नशामुक्ति सेवाएं			नियम 27: समुचित सुविधाएं
जन्म पंजीकरण, पहचान प्रमाण और आरक्षित / विशेष श्रेणी के प्रमाण पत्र के लिए उपयुक्त अधिकारियों सहित			
गृह ने विशेष आवश्यकता वाले बालकों के पुनर्वास के लिए			

अन्य बाल देखरेख संस्थानों के साथ संबंध स्थापित किए हैं			
बालकों की बहाली और पुनर्वास और जिनके साथ उनके संबंध स्थापित किए गए- बाल कल्याण समिति			
किशोर न्याय बोर्ड			
चाइल्ड हेल्पलाइन			
जिला बाल संरक्षण इकाई			
जिला प्रायोजन और पालन-पोषण अनुमोदन समिति			
दत्तकग्रहण के उद्देश्य से दत्तकग्रहण योग्य बालकों का विवरण बालकों और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधितकेन्द्रीकृत डाटबेस और पोर्टल पर अपलोड किया गया है।			धारा 65: विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसी
विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण उसी परिसर में स्थित है			
जन्म पंजीकरण, पहचान प्रमाण और आरक्षित / विशेष श्रेणी के प्रमाण पत्र के लिए उपयुक्त अधिकारियों सहित कोई अन्य संस्थान भी उसी परिसर में स्थित है			

उल्लंघन

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और नियमों का उल्लंघन

2. (क) लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 का उल्लंघन ।

   (ख) यदि हाँ, तो क्या लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 19 का पालन किया गया था?

3. कोई अन्य उल्लंघन / अवलोकन/टिप्पणियां / कोई नहीं।

बच्चों के साथ संवाद

निरीक्षण के दौरान, बालकों के साथ अनौपचारिक बातचीत उचित आयु वर्ग के बालकों के एक समूह के साथ खुले मैत्रीपूर्णवातावरण में आयोजित की जा सकती है ताकि संस्थान में उनकी सुरक्षा, संरक्षा और अपराध से सुरक्षा के बारे में पतालगाया जा सके। बातचीत शिक्षा, कौशल, खेल, सह पाठयक्रम गतिविधियों पर केंद्रित हो सकती है। बालकों की गोपनीयताभी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

1. **संवाद का संचालन करने के लिए सामान्य सिद्धांत**

   संवाद संचालन करने में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों का पालन किया जाना है: -

   (i) गोपनीयता

   (ii) पारदर्शिता

   (iii) सहभागिता

   प्रश्नों को सरल और सामान्य रखें। दिखाएँ कि आप वास्तव में बालक / बालकों में रुचि रखते हैं।

2. **संबंध निर्माण और सामान्य बातचीत**- विषय के बारे में एक सामान्य, खुले अंत वाले प्रश्न के साथ चर्चा शुरू करें जैसे कि उस घर के बारे में विचार पूछना जिसमें बच्चे रह रहे हैं। निरीक्षण करने वाली टीम / अधिकारी बालकों से सकारात्मकता और नकारात्मकता के बारे में पूछ सकते हैं। गृह के
3. **सामान्य मुद्दों पर चर्चा**- निरीक्षण दल /अधिकारियों को बालकों से उनका विश्वास और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए साधारण प्रश्न पूछने चाहिए। साधारण प्रश्न प्रशासन और कर्मचारियों के साथ मुद्दों, घर में रहने के दौरान बालकों के सामने आने वाले मुद्दों, गृह के कर्मचारी कितने मददगार हैं, शिकायत की रिपोर्ट करने के उपाय और घर में बाल संरक्षण नीति के बारे में जानकारी पर केंद्रित हो सकते हैं।
4. **संवाद पर अवलोकन-**
5. यदि बाल शोषण का कोई मामला पाया जाता है। संदिग्ध होता है. तो उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

प्रेक्षण/टिप्पणियां:……..

निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम:

हस्ताक्षरः

निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम:

हस्ताक्षरः

निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम:

हस्ताक्षरः

निरीक्षण समिति के सदस्य का नामः

हस्ताक्षर